<u>परिवादी साक्षी कं0–1 ओम प्रकाश तिवारी को आज दिनांक 26.11.2022 को शपथ दिलायी जाकर 12:46 बजे प्रतिपरीक्षण प्रारंभ किया गयाः–</u>

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्री प्रमोद सोनी वास्ते आरोपी</u>

13. मैं कक्षा 9वीं तक पढा हूं।मेरा खुद का ट्रेवल्स एजेंसी है। मेरा लडका मेरे साथ उक्त कारोबार देखता है। यह कहना सही है कि मेरे स्वयं का ट्रेवल्स एजेंसी के संबंध में गुमास्ता लाइसेंस व ट्रेवल्स एजेंसी का प्रमाण पत्र प्रकरण में संलग्न नहीं है। मेरे व मेरे परिवार की मासिक आय एक से डेढ लाख है। इसके अतिरिक्त दुकान से किराया लगभग 40,000/–रू0 मासिक प्राप्त होती है। यह कहना सही है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत परिवाद (धारा–145 का शपथ पत्र, नोटिस,) को मैनें पढा था और मेरे अधिवक्ता द्वारा भी मुझे पढकर सुनाया गया था उसके बाद मैने अपने हस्ताक्षर कर न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया था।

14. यह कहना सही है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र व शपथ पत्र व मेरे अधिवक्ता के द्वारा प्रेषित नोटिस में मेरे द्वारा अभियुक्त को उधार की राशि 10,00,000/–रू0 कब व कहां दिये थे उसका दिन, दिनांक व स्थान उल्लेखित नहीं है। मैं आज यह नहीं बता सकता कि मैंने अभियुक्त को 10 लाख रूपये कब व किस दिनांक तथा वर्ष को दिये थे। साक्षी स्वतः कहता है कि लगभग वर्ष 2017 में लगभग अप्रेल–मई में आरोपी को रकम उधारी दिया था।

15. मैने आरोपी को उक्त रकम एकमुश्त नगद अदा किया था। रकम उधारी दिये जाने से लगभग 8 से 10 वर्षो से मेरा आरोपी के साथ करीबी पारिवारिक संबंध था। आरोपी की उम्र लगभग 30–32 वर्ष की है तथा मेरी उम्र अभी वर्तमान में 52 वर्ष की है। मैं आरोपी के दुकान में आना–जाना करता था, घर में नहीं। इनके घर के अन्य सदस्य से मेरा कोई परिचय नहीं था। आरोपी का सुंदरनगर एवं देवेन्द्रनगर में मकान है। आरोपी को जिस समय मैं उधार में रकम दिया था उस समय आरोपी दूसरे का रेस्टोरेंट चलाता था। यह कहना सही है कि आरोपी और मेरा कारोबार भिन्न–भिन्न है।

16. आरोपी मेरे पत्नी से साढे तीन लाख रूपये उधार लिये थे। उस सबंध में मेरी पत्नी द्वारा पृथक से परिवाद पेश किया गया है। आरोपी द्वारा मेरे से भिन्न–भिन्न समय में उधार लिया गया है जो कुल 10,00,000/–रू0 के करीब है। आरोपी मुझसे किस कार्य हेतु पैसा उधार लेता था यह पूछने पर उसके द्वारा मार्केट में पैसा देना है कहकर उधार लेता था। यह कहना सही है कि आरोपी मुझसे मार्केट का पैसा देना है कहकर अलग–अलग समय में उधार लिया है। उक्त बात मैं अपने परिवाद पत्र, शपथ पत्र व अधिवक्ता द्वारा प्रेषित नोटिस में उल्लेख नहीं किया हूं।

17. यह कहना सही है कि मैने आरोपी को जो रकम उधार में दिया था उसका कोई लिखापढी नहीं किया गया है। मैने आरोपी को दिये गये उधार के एवज में उससे कोई प्रतिभूति सुरक्षा नहीं ली थी। उसके एवज में आरोपी से मैने दो चेक लिया था। यह कहना गलत है कि आरोपी के द्वारा दिये गये चेक प्र0पी01 में मेरा रकम, नाम आदि मेरे स्वयं के द्वारा लिखा गया है। यह कहना सही है कि प्र0पी01 के चेक में दिनांक अ से अ मेरे द्वारा बैंक में चेक भुगतान हेतु प्रस्तुत करते समय आरोपी के कहने पर लिखा गया था। मैने आरोपी को 10,00,000/–रू0 5–6 किश्तों में दिया था। मैंने आरोपी को उक्त दस

लाख रूपये एक साल के भीतर दिया था। मैनें आरोपी को वर्ष 2016–17 के बीच उपरोक्त रकम नगद उधार में दिया था।

18. यह कहना सही है कि आरोपी को रकम उधार में दिये जाने के संबंध में कोई विवरण परिवाद में प्रस्तुत नहीं है। यह कहना सही है कि मैं आयकर दाता हूं। मैं करीब 10–15 वर्ष से आयकर का भुगतान कर रहा हूं। यह कहना सही है कि मैं आयकर पेयी हूं इस संबंध में कोई दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया हूं। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि 20 हजार से अधिक की राशि किसी फर्म या व्यक्ति को नगद में देना या लेना आयकर अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंधित है। मैने अपने चाटर्ड एकांउटेट वर्ष 2016–17 के बीच में आरोपी को 10,00,000/–रू0 उधार देने की बात नहीं बतायी थी। यह कहना सही है कि मैने वर्ष 2016–17 के आयकर विवरण में आरोपी को 10,00,000/–रू0 दिये जाने की जानकारी नहीं दी।

19. यह कहना गलत है कि मैने आरोपी से प्र0पी01 का कोरा चेक लिया था। यह कहना गलत है कि प्र0पी01 में मेरा नाम, दिनांक व आरोपी के हस्ताक्षर अलग–अलग स्याही में है। यह कहना गलत है कि प्र0पी01 के चेक में नाम एवं रकम मेरे स्वयं के द्वारा चेक के अनादरण हेतु भरा गया था। यह कहना सही है कि मेरे द्वारा चेक के आहरण हेतु प्रस्तुत किया गया था उसकी जमा पर्ची प्र0पी02 में जमा किये जाने का दिनांक 17.01.2018 अंकित है। यह कहना सही है कि प्र0पी01 का जो चेक है वह दिनांक 18.01.2018 का है। यह कहना सही है कि मेरे अधिवक्ता के द्वारा आरोपी के पते पर प्रेषित नोटिस का रसीद प्रकरण में संलग्न नहीं है। यह कहना सही है कि प्र0पी05 के डाक पावती में आरोपी के हस्ताक्षर नहीं है।

20. यह कहना सही है कि मेरी पत्नी के नाम पर राम सागर पारा अग्रसेन चौक में एक दुकान है। यह कहना सही है कि मेरे द्वारा आरोपी को दिनांक 20.05.2017 को उक्त दुकान किराये पर दिया गया था। यह कहना सही है कि किरायेदारी के संबंध में किरायानामा भी निष्पादित हुआ था जिसकी प्रति प्रकरण में संलग्न है। यह कहना सही है कि उक्त दुकान कराया में देते समय आरोपी से मेरे द्वारा सुरक्षानिधि जमा करने कहा गया था। यह कहना गलत है कि उक्त दुकान को किराया में देते समय दुकान की सुरक्षानिधि (पगडी रकम) 10,00,000/–रू0 की मांग मेरे द्वारा आरोपी से किया गया था। आरोपी के द्वारा सुरक्षानिधि की रकम मकान बेचकर दुंगा बोला था।

21. यह कहना सही है कि उक्त संव्यवहार के संबंध में आरोपी और मेरे बीच प्र0डी01 का लिखित इकरारनामा निष्पादित हुआ था। जिसकी प्रति प्रकरण में संलग्न है जो प्र0डी01सी है। यह कहना सही है कि इकरारनामा प्र0डी01 के क्रमशः अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। यह कहना सही है कि उक्त इकरारनामा मेरे द्वारा न्यायालय परिसर में किया गया था। यह कहना सही है कि प्र0डी01 में अंकित चेक क्रमांक 518177 मेरे द्वारा प्रस्तुत परिवाद का प्र0पी01 का चेक है। यह कहना सही है कि प्र0डी01 में उल्लेखित चेक क्रमांक 518178 का जो चेक है वह मेरे पत्नी के द्वारा प्रस्तुत परिवाद में लगा हुआ है।

22. यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा आरोपी को कभी कोई रकम उधार में नहीं दिया गया था। यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा आरोपी से किरायाशुदा परिसर के

सुरक्षानिधि के बतौर प्राप्त कोरे चेक का दुरूपयोग करते हुये आरोपी के विरूद्ध झूठा परिवाद प्रस्तुत किया हूं।

<u>प्रतिपरीक्षण समाप्त 2:00 बजे तक</u>

साक्षी को बयान पढ़कर सुनाया गया,
सही होना स्वीकार किया ।

सही/–
(आलोक कुमार अग्रवाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
रायपुर (छ.ग.)

मेरे निर्देशानुसार टंकित।

सही/–
(आलोक कुमार अग्रवाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
रायपुर (छ.ग.)